आज आवेदक / आरोपी सोनू राय की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश गुप्ता ने शीध्र सुनवाई आवेदन पेश कर प्रकरण आज दिनांक को सुनवाई में लिए जाने का निवेदन किया। निवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया।

प्रकरण में आवेदक/आरोपी सोनू राय की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश गुप्ता द्वारा आवेदन पेश कर व्यक्त किया गया कि प्र०क० 570/16 इ.फौ. शा0पु0गोहद विरुद्ध सोनू अंतर्गत धारा 457, 380 भा.द.वि. में पारित निर्णय दिनांक 05.10.17 के पालन में न्यायालय में संचालित एम.जे.सी. कमांक 140/17 में निर्णयानुसार धारा 457 भादस के अंतर्गत एक हजार रूपये एवं धारा 380 भादस के अंतर्गत एक हजार रूपये कुल दो हजार रूपये आज दिनांक को जमा किए जाने का निवेदन किया गया है। न्यायहित में आवेदन स्वीकार करते हुए आरोपी को अर्थदण्ड राशि जमा किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आदेश के पालन में अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि एक-एक हजार रूपये कुल दो हजार रूपये अर्थदण्ड राशि रशीद क्रमांक.....बुक क्रमांक.....पर जमा की गयी।

आदेश की प्रति मूल प्रकरण में सलग्न की

जावे ।

एम.जे.सी. में कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः एम.जे.सी. प्रकरण समाप्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल अभिलेखगार किया जावे।

> सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी, गोहद